न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप उज्जैन

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू-रा/2017/1956

(151)

प्रकरण क्रं / निगरानी 17

1. दाखीबाई पति गेदालाल बंजारा
2. गेंदालाल पिता भांवसिंह बंजारा,
3. वकील पिता गेंदालाल बंजारा,
4. विष्णु पिता गेंदालाल बंजारा,

समस्त निवासीगण – खजूरीचंद्रावत तह. सीतामउ जिला मंदसौर

................आवेदकगण

श्री सदीप मेहता अभि. द्वारा प्रस्तुत
23-6-17

विरूद्व

1. विनोद पिता गोरेलाल बंजारा निवासी–ग्राम खजूरीचंद्रावत तह. सीतामउ जिला मंदसौर
2. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार महोदय तह. सीतामउ जिला मंदसौर
3. म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर मंदसौर

........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू– राजस्व संहिता

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 07/निगरानी/2015–16 में दिनांक 18.01.2017 को जो आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

01 यह कि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा कयामपुर तहसील सीतामउ जिला मंदसौर के यहां पर अनावेदक क्रमांक 1 विनोद पिता गोरेलाल ने एक आवेदन पत्र रुडिगत रास्ता प्रतिप्रार्थी की भूमि सर्वे नं. 228/1 मे से जाता है। प्रार्थी क्रमांक 1 उक्त भूमि की भूमि स्वामी ही नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थी की माता कमलाबाई के स्वामित्व की है और उनको इस प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र मे सर्वे क्रमांक 228/1 रकबा 0.80 हें. भूमि जिसकी चर्तुसीमा दर्शायी गई

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 8738/नि.ग./अ.नि./2017/1956 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/4/18	आवेदक अभिभाषक श्री संदीप मेहता उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण नहीं चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.